बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–5/निदे0(छात्रवृति प्रवे0)200–26/2018 – 332

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 20.03.2026

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1141 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/– (एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने के लिए कुल ₹24.60 लाख (चौबीस लाख साठ हजारा रू0) मात्र निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश –*स्वीकृत।*

2– स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण– उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44-2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के पत्रांक–854 दिनांक–11.03.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के तहत राज्य स्कीम के तहत 21–01 सामग्री एवं पूर्तिया ईकाई (विपत्र कोड–44–2225012770101) के तहत कुल ₹1,07,10,250/– (एक करोड़ सात लाख दस हजार दौ सौ पचास रू0) प्रत्यर्पण राशि प्राप्त हुआ है, जिसे स्वीकार किया गया है। उक्त प्रत्यर्पित राशि से "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के तहत अनुसूचित जाति के लिए कुल ₹24.60 लाख (चौबीस लाख साठ हजार रू0) की राशि की स्वीकृति दी जाती है।

4–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सहायक निदेशक (मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, तथा इस योजना के नियंत्री पदाधकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभागा होगें। निकासी पदाधिकारी राशि की निकासी कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में विभाग के स्तर पर खाता का संधारण करेंगे।

5– निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से सत्यापित एवं स्वीकृत सूची के आधार पर वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–3808 दिनांक –02.06.2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान)अधिनियम, 2016 (Aadhar Targeted delivery of Financial and other Subsidies,Benefits and Srvices,2016) , एवं समय–समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों के आलोक में विभाग के स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होने वाले छात्रों के बैंक एकाउंट में राशि का अंतरण करेगें।

6– संकल्प संख्या–1141 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनु0 जाति/अनु0 जनजनति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/–(एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति के आलोक में राशि व्यय किया जायेगा।

7– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

8– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

9– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं0–5/निदे0(छात्रवृति) 200–26/2018 के पृ0–140/टिप्पणी पर प्राप्त है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– सं0–5/निदे0(छात्रवृति प्रवे0)200–26/2018–332 पटना, दिनांक–20.03.2026

प्रतिलिपिः– (1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,/संबधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।